

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या 543/2023

06.10.2023 आवेदिका श्रीमती रुबी देवी पति श्री रंजीत लाल वर्णवाल, साकिन- कोडरमा, पोस्ट-कोडरमा, थाना- कोडरमा, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किरम
कुण्डई	325	4	249	2 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 13.10.2023/2023 को प्रस्तुत करें।

13.10.2023
16.10.2023
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कुण्डई, थाना नं०-325, खाता सं०-4, प्लॉट, सं०-249, रकबा-2 डी० भूमि पंजी-II के पृष्ठ संख्या-104 भाग संख्या-8 पर श्रीमती रुबी देवी पति श्री रंजीत लाल वर्णवाल के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-6102 दिनांक 27.09.2007 द्वारा हासिल है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-515/2013-14 दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या 107 दिनांक 15.09.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा